



NGT ने पंजाब सरकार पर जुर्माना लगाया

प्रलिस के लयः

राष्ट्रीय हरतऱ अधकऱरण (NGT), केंद्रीय प्रदूषण नयऱतरण बोरड (CPCB), ठोस अपशषऱट प्रबंधन नयऱम, 2016, पर्यावरण (संरक्षण) अधनऱनऱयऱम, 1986, भारत के मुख्य नऱयायाधीश (CJI), प्लासऱटकऱ अपशषऱट प्रबंधन (संशोधन) नयऱम, 2022, वायु गुणवतऱता प्रबंधन आयोग (CAQM) ।

मेन्स के लयः

भारत में अपशषऱट प्रबंधन से जुड़े मुददे ।

स्रोतः डाउन टू अरथ

हाल ही में **राष्ट्रीय हरतऱ अधकऱरण (NGT)** ने पंजाब सरकार पर कई चेतावनऱयऱं के बावजूद राज्य में ठोस और तरल अपशषऱट प्रबंधन में वफऱल रहने के लयऱ 1,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है । यह राशऱएक महीने के भीतर **केंद्रीय प्रदूषण नयऱतरण बोरड (CPCB)** के पास जमा करनी है ।

NGT ने पंजाब सरकार पर जुर्माना क्यों लगाया?

- **पछऱले छह महीनों में लगाए गए जुर्माने:** NGT ने ठोस और तरल अपशषऱट प्रबंधन में वफऱलता के कारण यह जुर्माना लगाया है। जुर्माने की गणना 5.387 मलऱयऱन टन पुरानेहीने की अवधऱ में ल अपशषऱट तथा सीवेज उपचार कषमता में अंतर के कारण **अनुपचारऱतऱ सीवेज के लयऱ छह मगाए गए पर्यावरणीय जुर्माने** के आधार पर की गई थी ।
- **बार-बार उल्लंघन:** नऱयायाधकऱरण ने पाया कऱ पंजाब सरकार वर्ष 2022 में अपने पछऱले आदेशों का पालन करने में भी वफऱल रही है, जसऱमें **NGT अधनऱनऱयऱम, 2010 की धारा 26 के तहत 2,080 करोड़ रुपए के लयऱ रगऱ-फेंसड खऱता बनाना** भी शामिल है ।
 - NGT ने पंजाब के मुख्य सचवऱ और अतरऱकऱतऱ मुख्य सचवऱ (शहरी वकऱस) को कारण बताओ नोटऱसऱ जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है ।

ठोस अपशषऱट प्रबंधन नयऱम, 2016:

- इन नयऱमों ने नगरपालकऱ **ठोस अपशषऱट (प्रबंधन और हैंडलऱगऱ) नयऱम, 2000** को प्रतऱसऱथापतऱ कऱया है और स्रोत पर अपशषऱट को पृथक करने, सैनऱटऱरी एवं पैकेजऱगऱ अपशषऱट के नऱपऱटऱन के लयऱ नऱसऱमाता की ज़मऱमेदऱरी, बड़े पैमाने पर अपशषऱट उत्पादकों से अपशषऱट का संग्रह, नऱपऱटऱन तथा प्रसंसकरण हेतु उपयोगकर्तऱता शुल्क पर धऱ्यान केंदरऱतऱ कऱया ।
- **प्रमुख वऱशऱषऱताएँ:**
 - **उत्पादकों की ज़मऱमेदऱरी यह नऱरऱधऱरऱतऱ की गई है कऱवे अपशषऱट को तीन श्रेणऱयऱं में वऱभऱजतऱ करेँ-** गीला (जैवनऱमऱनीकरणऱयऱ), सूखा (प्लासऱटकऱ, कागज, धऱतु, लकड़ी, आदऱ) और घरेलू खतरनाक अपशषऱट (डऱयपर, मचछर भगाने वाली दवाइयऱं, आदऱ) तथा अलग कऱये गए अपशषऱट को अधकऱतऱ कूड़ा बीनने वालों या अपशषऱट संग्रहकर्तऱताओं या स्थऱनीय नकऱयऱं को सौंप दे ।
 - **अपशषऱट उत्पादकों को यह भुगतऱन करना होगा:**
 - अपशषऱट संग्रहकर्तऱताओं को 'उपयोगकर्तऱता शुल्क' ।
 - अपशषऱट फेंकने और अलग न करने पर 'स्पॉट फऱइन' ।

राष्ट्रीय हरतऱ अधकऱरण कऱया है?

- **परचऱय**
 - राष्ट्रीय हरतऱ अधकऱरण अधनऱनऱयऱम, 2010 के तहत 18 अक्तूबर, 2010 को NGT की स्थापना की गई थी ।
 - इसका मुख्य उददेश्य **पर्यावरण संरक्षण, वनों के संरक्षण और प्राकृतकऱ संसाधनों के संरक्षण से संबंधऱतऱ मामलों का त्वरतऱ और कुशल समाधान करना** है ।

- इस अधिकरण का नेतृत्व **केंद्र सरकार द्वारा CJI के परामर्श से नियुक्त**, अध्यक्ष करते हैं, जो मुख्य पीठ पर बैठते हैं और इसमें कम से कम **10-20 न्यायिक सदस्य** तथा विशेषज्ञ होते हैं।
- **क्षेत्राधिकार**
 - अधिकरण का क्षेत्राधिकार पर्यावरण अधिकारों को लागू करने, व्यक्तियों और संपत्तियों को हुए नुकसान के लिये राहत तथा मुआवजा देने एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों को हल करने तक फैला हुआ है
 - आवेदन दाखिल करने के मूल क्षेत्राधिकार के अलावा NGT के पास न्यायालय (न्यायाधिकरण) के रूप में अपील सुनने का **अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है।**
 - NGT नमिनलखिति कानूनों के तहत दीवानी मामलों का समाधान करता है:
 - जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम,
 - जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम,
 - वन (संरक्षण) अधिनियम,
 - वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम,
 - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,
 - सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम,
 - जैविक विविधता अधिनियम, 2002
- **शक्तियाँ:**
 - न्यायाधिकरण **CPC, 1908** के तहत नरिधारति प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, लेकिन 'प्राकृतिक न्याय' के सिद्धांतों द्वारा नरिदेशति होगा
 - NGT अपने आदेश द्वारा नमिनलखिति प्रावधान कर सकता है
 - प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति (किसी खतरनाक पदार्थ को संभालते समय होने वाली दुर्घटनाओं सहित) से पीड़ित व्यक्तियों को राहत तथा मुआवजा प्रदान करना;
 - क्षतिग्रस्त संपत्तियों को बहाल करना;
 - न्यायाधिकरण ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में पर्यावरण की बहाली के लिये प्रावधान कर सकता है, जसि वह उचित समझे।
 - **न्यायाधिकरण का आदेश अथवा नरिणय सविलि न्यायालय के आदेश के रूप में नषिपादन योग्य है।**
 - NGT अधिनियम गैर-अनुपालन के लिये दंड की एक प्रक्रिया का भी प्रावधान करता है:
 - तीन वर्ष तक की अवधि के लिये कारावास,
 - दस करोड़ रुपए तक का जुर्माना
 - जुर्माना एवं कारावास दोनों।
 - NGT द्वारा दिये गए आदेश/नरिणय/अधिनरिणय के वरिद्ध सर्वोच्च न्यायालय में संप्रेषण की तथिसे 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है।

टोस अपशषिट प्रबंधन में प्रमुख प्रशासनिक चुनौतियाँ क्या हैं?

- **वनियमों का अपर्याप्त कार्यान्वयन:**
 - भारत के शहरी केंद्रों में अपशषिट प्रबंधन अवसंरचना प्रायः अपर्याप्त होते हैं, जहाँ अक्सर पुराने, क्षतिग्रस्त या अपर्याप्त अपशषिट संग्रहण सुवधिएँ होती हैं।
 - स्रोत पर अपशषिट पृथक्करण के प्रवर्तन की कमी के कारण लैंडफिल में अपरसंस्कृत अपशषिट को मिलाकर टोस अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016 का उल्लंघन एक गंभीर चति का वषिय है।
- **अंतर-वभागीय समन्वय की कमी:**
 - टोस अपशषिट प्रबंधन के लिये शहरी वकिस, पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ जैसे वभिन्नि वभागों में समन्वति प्रयासों की आवश्यकता होती है। राज्य सरकारें प्रायः अंतर-वभागीय समन्वय की कमी के कारण अपशषिट के संग्रह, प्रसंस्करण तथा नषिटान में अक्षमताओं का अनुभव करती हैं।
- **संसाधन आवंटन और अवसंरचना की कमी:**
 - राज्य सरकारों द्वारा वत्तितीय और तकनीकी संसाधनों का अपर्याप्त आवंटन आवश्यक अपशषिट प्रबंधन अवसंरचना के वकिस में बाधा डालता है। वषिष रूप से शहरी क्षेत्रों में इन बाधाओं में अपशषिट प्रसंस्करण सुवधिएँ, खाद बनाने वाली इकाइयाँ तथा अपशषिट से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र स्थापति करने में वलिंब शामिल है।
- **अपशषिट नषिटान स्थलों की चुनौतियाँ:**
 - महानगरों में अपशषिट प्रसंस्करण संयंत्रों के लिये भूमिकी कमी के कारण अनुपचारति अपशषिटों का संचय हो रहा है। अवैध डंपिंग पद्धतियों के कारण यह स्थति और भी गंभीर हो गई है। टोस अपशषिट का एक बड़ा हसिसा बनिा संसाधति कयि ही रह जाता है।

आगे की राह

- **नगर पालिकाओं को भवषिय में जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए अपने अपशषिट प्रसंस्करण क्षमताओं को सकरयि रूप से बढ़ाना चाहयि।** इसके लिये बायोडगिरेडेबल अपशषिट के लिये खाद बनाने और बायोगैस उत्पादन पर रणनीतिक ध्यान केंद्रति करना आवश्यक है।
- हरयिणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग करके दलिली जैसे महानगरीय क्षेत्रों में एक वकिेंद्रीकृत अपशषिट प्रसंस्करण मॉडल लागू कयि जा सकता है।

- इस दृष्टिकोण में इन राज्यों में मौजूदा **जैविक खाद बाज़ार का लाभ उठाते हुए कई खाद बनाने के संयंत्र** स्थापति करना शामिल हैं
- एक **एकीकृत अपशषिट प्रबंधन उपागम** जो वकेंद्रीकृत प्रसंस्करण वकिल्पो को बड़े पैमाने पर अपशषिट प्रसंस्करण सुवधियों के साथ जोड़ता है, सभी अपशषिट धाराओं के व्यापक उपचार को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है
- यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा कि अपशषिट को **स्थानीय और कषेत्रीय दोनों स्तरों पर प्रभावी ढंग से प्रबंधित** किया जाए, जो शहरी अपशषिट प्रबंधन प्रणालियों की समग्र स्थिरता में योगदान देता है

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में अपशषिट प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के समाधान में राष्ट्रीय हरति अधिकरण (NGT) की भूमिका का परिक्षण कीजिये?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रलिमिस:

प्रश्न. भारत में ठोस अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016 के अनुसार नमिनलखिति में से कौन-सा कथन सही है? (2019)

- अपशषिट उत्पादक को पाँच कोटियों में अपशषिट अलग-अलग करने होंगे।
- ये नयिम केवल अधसूचित नगरीय स्थानीय नकियों, अधसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे।
- इन नयिमों में अपशषिट भराव स्थलों तथा अपशषिट प्रसंस्करण सुवधियों के लिये सटीक और वसितृत मानदंड उपबंधित हैं।
- अपशषिट उत्पादक के लिये यह आज्ञापक होगा कि कसि एक ज़िले में उत्पादित अपशषिट, कसि अन्य ज़िले में न ले जाया जाए।

उत्तर: (c)

प्रश्न. राष्ट्रीय हरति अधिकरण (एन.जी.टी.) कसि प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नयितरण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) से भनि है? (2018)

- एन.जी.टी. का गठन एक अधनयिम द्वारा किया गया है जबकि सी.पी.सी.बी. का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है।
- एन.जी.टी. पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है जबकि सी.पी.सी.बी. झरनों तथा कुँओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है एवं देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 न ही 2

उत्तर: (b)

??/??/??/?:

प्रश्न. नरितर उत्पन्न किये जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की वशाल मात्राओं का नसितारण करने में क्या-क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परविश में जमा होते जा रहे जहरीले अपशषिटों को सुरक्षित रूप से कसि प्रकार हटा सकते हैं? (2018)